

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राजपुरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा
व भू.अ.नि. कोटरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमराय / नायब
तहसीलदार रेलमराय की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमराय व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या १८ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	राजपुरा	१८	उदयलाल पुत्र पेमा खालकी खा. देह खाते हाट राहिन स्टेट बैंक ऑफ़ लीक्रेट एंड वणपुरा शाखा राजपुरा दरीवा	उदयलाल पुत्र पेमा खालकी खा. देह खातेहाट राहिन स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डियन शाखा राजपुरा दरीवा

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक:- 391
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16/10/25

1. तहसीलदार रेलमराय को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____